मनोरंजन कर विभाग

मनोरंजन कर विभाग का मुख्य कार्य आमोद एवं पणकर की वसूली तथा यह सुनिश्चित करना है कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो। उ0 प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, उ0 प्र0 विज्ञापन कर अधिनियम 1981, उ0 प्र0 चलचित्र विनियम अधिनियम 1955 के अन्तर्गत छविगृहों को लाइसेंस संबन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान/नवीनीकृत किया जाता है और वे ही इनके लाइसेंसिंग अधिकारी हैं।

विभाग की मुख्य गतिविधियां/क्रिया कलाप

- मनोरंजन के साधनों को विनियमित करना।
- मनोरंजन के साधनों हेतु लाइसेंस प्रदान करना, अनुमति प्रदान करना एवं समय पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करना।
- मनोरंजन के साधनों पर कर का निर्धारण एवं उसकी वसूली करना।
- सघन निरीक्षण कर करापवंचन की रोकथाम करना।
- मनोरंजन एवं उसके साधनों की गुणवत्ता बनाये रखना।
- मनोरंजन व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना।
- जन शिकायतों का समाधान।

राजस्व प्राप्तियॉ–मनोरंजन कर विभाग की विगत वर्षों की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत हैः–

1. वर्ष 2003–04	स0 92.79 करोड़
2. वर्ष 2004–05	रू0 112.30 करोड़
3. वर्ष 2005–05	रू0 114.76 करोड़
4. वर्ष 2006–07	रू0 131.57 करोड़
5. वर्ष 2007–08	रू0 137.50 करोड़
6. वर्ष 2008–09	रू0 140.59 करोड़
7. वर्ष 2009–10	रू0 193.50 करोड़
8. वर्ष 2010–11	रू0 245.13 करोड़
9. वर्ष 2011–12	रू. 312.45 करोड़

10. वर्ष 2012–13	रू0 385.11 करोड़
11. वर्ष 2013–14	रू0. 469.82 करोड़
12. वर्ष 2014–15	रू. 498.40 करोड़
13. वर्ष 2015–16	रू. 622.42 करोड़
14. वर्ष 2016–17	रू. 725.48 करोड़